


जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का कार्यालय,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर  
(कल्याण शाखा)

—: निविदा :-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय, उपरपावडा घाटशिला, सबरनगर पोटका, अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य विद्यालय, सिंहपुरा एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय, अंधारिया चाकुलिया में खाद्य एवं अखाद्य सामग्री आपूर्ति हेतु मुहरबंद निविदा दिनांक-18.05.2017 के अपराहन 01:00 बजे तक जिला कल्याण कार्यालय, (कमरा नं०-जी-07) पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में आमंत्रित किया जाता है ।

निविदा उसी दिन दिनांक-18.05.2017 के अपराहन 03:00 बजे परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए०-सह-अध्यक्ष, जिला क्रय समिति, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी । निविदा के समय निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी। आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों की सूची एवं निविदा की शर्तें जिला के वेबसाईट [www.jamshedpur.nic.in](http://www.jamshedpur.nic.in) से प्राप्त किया जा सकता है ।

  
परियोजना निदेशक,  
आई०टी०डी०ए०,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ।

**उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर  
(कल्याण शाखा)**

**वित्तीय वर्ष 2017-18 में पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर जिलान्तर्गत कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालयों में  
खाद्य-अखाद्य सामग्री आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों की सूची :-**

(क) भोजन एवं जलपान मद

क्र.	वस्तु का नाम	क्र.	वस्तु का नाम
1.	उसना चावल उत्तम प्रति कि०ग्रा०	29.	सूधी प्रति कि०ग्रा०
2.	उसना चावल मध्यम प्रति कि०ग्रा०	30.	मूंगफली दाना प्रति कि०ग्रा०
3.	अरवा चावल (खीर हेतु) प्रति कि०ग्रा०	31.	टाटा नमक प्रति कि०ग्रा०
4.	मसूर दाल प्रति कि०ग्रा०	32.	पापड़ (200 ग्राम पैकेट)
5.	मूंगदाल प्रति कि०ग्रा०	33.	काजू प्रति कि०ग्रा०
6.	अरहर दाल प्रति कि०ग्रा०	34.	गरी प्रति कि०ग्रा०
7.	चनादाल प्रति कि०ग्रा०	35.	किशमिस प्रति कि०ग्रा०
8.	चना प्रति कि०ग्रा०	36.	चना बेसन प्रति कि०ग्रा०
9.	चूड़ा प्रति कि०ग्रा०	37.	मैदा प्रति कि०ग्रा०
10.	चीनी प्रति कि०ग्रा०	38.	आटा प्रति कि०ग्रा०
11.	गुड़ प्रति कि०ग्रा०	38.	खरसी मांस प्रति कि०ग्रा०
12.	रिफाईन तेल (फॉर्चुन) प्रति लीटर	39.	मुर्गा मांस देशी प्रति कि०ग्रा०
13.	सरसों तेल ब्राण्डेड सहित प्रति लीटर	40.	मुर्गा मांस बॉयलर प्रति कि०ग्रा०
14.	सुधा दूध प्रति लीटर	41.	आलू प्रति कि०ग्रा०
15.	जलावन लकड़ी प्रति कि०ग्रा०	42.	प्याज प्रति कि०ग्रा०
16.	सोया बड़ली (न्यूड्रिला) प्रति पैकेट	43.	अदरक प्रति कि०ग्रा०
17.	हल्दी गोटा प्रति कि०ग्रा०	44.	लहसुन प्रति कि०ग्रा०
18.	धनिया गोटा प्रति कि०ग्रा०	45.	अंडा प्रति नग
19.	लाल भिर्च गोटा प्रति कि०ग्रा०	46.	जीरा पाउडर प्रति कि०ग्रा०
20.	गोल भिर्च गोटा प्रति कि०ग्रा०	47.	धनिया पाउडर प्रति कि०ग्रा०
21.	जीरा गोटा प्रति कि०ग्रा०	48.	हल्दी पाउडर प्रति कि०ग्रा०
22.	गरम मसाला प्रति कि०ग्रा०	49.	मिर्चा पाउडर प्रति कि०ग्रा०
23.	ब्रेड प्रति पैकेट	50.	बटर प्रति कि०ग्रा०
24.	हॉरलिक्स प्रति कि०ग्रा०	51.	दलिया प्रति कि०ग्रा०
25.	भटर प्रति कि०ग्रा०	52.	उडद की धुली दाल प्रति कि०ग्रा०
26.	फूड कलर प्रति पैकेट	53.	उडद दाल प्रति कि०ग्रा०
27.	सांभर मसाला प्रति कि०ग्रा०	54.	बेकिंग सोडा प्रति कि०ग्रा०
28.	पनीर मसाला प्रति कि०ग्रा०	55.	छोला मसाला प्रति कि०ग्रा०

(ख) हरी सब्जी मद

क्र.	वस्तु का नाम	क्र.	वस्तु का नाम
1.	फुलगोभी प्रति कि०ग्रा०	13.	कोहड़ा प्रति कि०ग्रा०
2.	बन्धागोभी प्रति कि०ग्रा०	14.	कद्दु प्रति कि०ग्रा०
3.	परथल प्रति कि०ग्रा०	15.	खेखसा प्रति कि०ग्रा०
4.	बरबटी प्रति कि०ग्रा०	16.	सीम प्रति कि०ग्रा०
5.	बैंगन प्रति कि०ग्रा०	17.	फ्रेंचबीन प्रति कि०ग्रा०

6. भिंडी प्रति कि०ग्रा०	18. टमाटर प्रति कि०ग्रा०
7. करेला प्रति कि०ग्रा०	19. मूली प्रति कि०ग्रा०
8. कच्चा पपीता प्रति कि०ग्रा०	20. पालक साग प्रति कि०ग्रा०
9. हरा भिर्च प्रति कि०ग्रा०	21. गेन्हरी/लाल साग प्रति कि०ग्रा०
10. कुदरी प्रति कि०ग्रा०	22. सेव प्रति कि०ग्रा०
11. झिंगली प्रति कि०ग्रा०	23. केला पका हुआ (सिंगापुरी) प्रति दर्जन
12. पनीर प्रति कि०ग्रा०	24. बीट प्रति कि०ग्रा०

(ग) सोडा साबुन मद

क्र.	वस्तु का नाम	क्र.	वस्तु का नाम
1.	लाईफबॉय 120 ग्रा० प्रति	7.	नारियल झाड़ू प्रति नग
2.	सर्फ (व्हील और निरमा) 190 ग्रा० प्रति	8.	फूल झाड़ू प्रति नग
3.	बाटी साबुन (चाकुलिया) 200 ग्रा० प्रति	9.	दुथपेस्ट (पेप्सोडेंट/कोलगेट) 100 ग्रा० प्रति
4.	रिन सुप्रीम साबुन 240 ग्रा० प्रति	10.	दुधब्रश (पेप्सोडेंट/कोलगेट) 100 ग्रा० प्रति
5.	हारपीक (एम०एल० सहित) पावर 500 मि० प्रति	11.	जिभी स्टील प्रति नग
6.	फीनाईल (ग्रीस 500 एम०एल०) प्रति		

(घ) वस्त्र एवं पोशाक


क्र. वस्तु का नाम

01	नाईट ड्रेस
02	ब्लेजर
03.	स्पोर्ट ड्रेस
04.	स्लीपर
05.	अंतः वस्त्र
06.	टाई
07.	बेल्ट

निविदा की शर्तें :-

1. प्रत्येक निविदादाता को विक्री कर विभाग में निबंधन का अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्र देना होगा ।
2. निविदा के साथ निविदादाताओं को आयकर रिटर्न 2016-17, पैन कार्ड एवं स्वच्छता प्रमाण-पत्र की अद्यतन अभिप्रमाणित छायाप्रति, मापतौल विभाग का निबंधन की अभिप्रमाणित छायाप्रति, एवं जी०एस०टी० इनरॉलमेंट प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा ।
3. निविदादाता का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम एक करोड़ रुपये होना आवश्यक है, जिसका प्रमाण हेतु विगत वित्तीय वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवेदन का अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
4. निविदा के साथ अग्रधन के रूप में 4,00,000/- (चार लाख) रुपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पदनाम से निविदा के साथ प्लेज्ड करना अनिवार्य होगा । बिना बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।
5. निविदा के सामग्रियों का दर सूची अनुसार सभी कर सहित अंकित करेंगे । किसी प्रकार का कटिंग या ओवर राईटिंग होने पर इसपर विचार नहीं किया जायेगा । सामग्री का एक ही दर अंकित करना होगा ।
6. दर निर्धारण के समय खाद्यान्न सामग्री के नमूना 04 पैकेट में लाना अनिवार्य होगा तथा अन्य सामग्री का नमूना एक-एक प्रति अच्छे गुणवत्ता एवं जिला कृषि बाजार समिति द्वारा निर्धारित सामग्रियों का थोक मूल्य का न्यूनतम दर ही मान्य होगा ।
7. सामग्रियों की आपूर्ति इस जिला अन्तर्गत अवस्थित आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में पहुंचाकर करनी होगी ।
8. स्वीकृत निविदादाता को किसी भी परिस्थिति में आपूर्ति बाधित नहीं करनी होगी । आपूर्ति बाधित करने पर उसे काली सूची में नाम दर्ज की जा सकती है एवं अग्रधन की राशि जब्त की जा सकती है । भुगतान के विलम्ब होने पर आपूर्तिकर्ता किसी तरह का हर्जाना या भरपाई का दावा नहीं करेंगे ।
9. इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि किसी जिला में उन्हें काली सूची में नहीं डाला गया है तथा उनपर तथा फर्म पर किसी भी जिला में प्राथमिकी दर्ज नहीं है ।

10. पूर्वी सिंहभूम जिला से बाहर के निविदादाता शपथ-पत्र के द्वारा इस जिला में स्थायी व्यवसायिक कार्यालय संबंधी विवरणी, कर्मचारी आदि का नाम देना अनिवार्य होगा ।
11. निविदा में स्थानीय निविदादाता को प्राथमिकता दी जायेगी ।
12. निविदादाताओं को सरकार के पक्ष में जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से एकरारनामा करना होगा कि वे आदेशानुसार सामग्रियों की आपूर्ति स्वीकृत दर एवं नमूने के अनुरूप करेंगे । ऐसा नहीं करने पर आपूर्तिकर्ता को काली सूची में नाम दर्ज कर दिया जायेगा तथा अग्रधन जब्त की जायेगी ।
13. आपूर्ति आदेश वित्तीय वर्ष 2017-18 तक के लिए मान्य होगा ।
14. शर्त युक्त निविदा स्वीकार नहीं किये जाएंगे । समिति द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अंतिम होगा ।
15. बिना कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार जिला क्रय समिति को सुरक्षित होगा ।
16. स्वीकृत निविदादाता को सामग्री की आपूर्ति विद्यालय तक पहुंचाकर करनी होगी जिसके लिए अलग से परिवहन व्यय देय नहीं होगा ।
17. निविदादाता को निविदा दो शील्ड लिफाफे में देना होगा । तकनीकी बीड में निविदा से संबंधित सभी कागजात तथा दूसरे लिफाफे में सामग्रियों का केवल दर अंकित रहेगा । तकनीकी बीड में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय बीड जिला क्रय समिति के बैठक में खोला जाएगा ।
18. निविदा खोलते समय वांछित सभी कागजातों की मूल प्रति लाना अनिवार्य है ।

  
जिला कल्याण पदाधिकारी,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ।